अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..से..तक

जिला–.........**राँची**...................., वाद संख्या–...........**22**................................सन्–............**2017–18**......................।

वाद का प्रकार–....................**दाखिल खारिज अपील**..

अर्जीकार–.................**पद्य देवी**.. प्रतिपक्षी–...........**अंचल अधिकारी, सोनाहातु**...।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
06.02.19	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी पद्य देवी; पति–पूर्णचन्द्र महतो, ग्राम–बारूहातु, डाकघर–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–23 R27/2015-2016/सोनाहातु में दिनांक–01/08/2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बारूहातु	सोनाहातु/60	143	965	31 डी०
		143	966	13 डी०

अपीलार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अंचलाधिकारी, सोनाहातु से मूल अभिलेख की मांग की गयी साथ ही आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि निबंधित पट्टा सं०–3602, से खरीदगी द्वारा प्राप्त है, एवं खरीदगी के पश्चात उक्त भूमि पर दखलकार हुए। उपरोक्त भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के पश्चात उक्त भूमि का दाखिल खारिज हेतु न्यायालय, अंचल अधिकारी, सोनाहातु को आवेदन दिया जिसे यह तथ्य देते हुए खारिज कर दिया कि आवेदित भूमि सी.एन.टी. एक्ट की धारा–46 1(बी) से प्रभावित है।

विद्वान अधिवक्ता पुनः कहते हैं कि पट्टा निबंधन के समय सी.एन.टी. एक्ट प्रभाव में नहीं था जिस कारण निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी का पट्टा निबंधित किया गया। सरकार के पत्रांक–7 दिनांक 0.1.03.2012 को सी.एन.टी. एक्ट प्रभावी करते हुए पत्र निर्गत है जिसमें सूचीबद्ध जाति का बिक्री स्वीकृति आवश्यक है। अपीलार्थी का पट्टा उक्त तिथि से पूर्व का है। इस आधार पर मेरी अपील स्वीकृत की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेज तथा अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक–181(ii) दिनांक–21/06/2018 द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि सी.एन.टी. एक्ट की धारा–46 1(बी) से प्रभावित है। अतएव इस आधार पर अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

उपरोक्त वर्णित भूमि के हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त से अनुमति नहीं ली गयी है, उक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 1(बी) का उल्लंघन हुआ है। अतः अपील वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/02/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

6/02/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)